पत्रांक : 4791 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून। 1172 05/01/16

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(धारा–57, अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 02 जनवरी, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या – 11/29-07-2015
द्वारा – **सर्वश्री Vectus Industries Ltd. Plot No. 26, IIE, Sidcul, Haridwar.**
उपस्थिति – **श्री ललित सचदेवा एवं श्री एस0के0 गुप्ता अधिवक्ता फर्म।**
निर्णय का दिनांक – 02/01/2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री Vectus Industries Ltd. Plot No. 26, IIE, Sidcul, Haridwar द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाटर स्टोरेज टैंक (घर के अन्दर स्थापित करने योग्य) पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार से आख्या प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी है :–

" प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वस्तुओं अर्थात् फर्म द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्मित समस्त वस्तुएं वाणिज्य कर विभाग अधिनियम के शिड्यूल–II (ख) की प्रविष्टि संख्या–8 के अनुसार All Utensils की श्रेणी में नहीं आयेंगी, क्योंकि उपरोक्त अंकित वस्तु Utensils नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित सभी वस्तुएं अवर्गीकृत श्रेणी में आने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता की पात्र हैं।

इस प्रकार वाटर स्टोरेज टैंक पर अवर्गीकृत श्रेणी में होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता अनुमन्य होगी।"

धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री ललित सचदेवा एवं श्री एस0के0 गुप्ता, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि दिनांक 20.01.2015 से पूर्व अनुसूची II(B) की प्रविष्टि संख्या 8 में वर्णित प्रविष्टि में कन्टेनर्स को अलग से दिखाया गया था, किन्तु दिनांक 20.01.2015 से इस प्रविष्टि से "कन्टेनर्स" शब्द को हटा दिया गया है। उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि विभिन्न डिक्शनरी में Utensil की परिभाषा में कन्टेनर शब्द भी है. अर्थात् कन्टेनर को भी Utensil कहा गया है। उनके अनुसार Oxford Advanced Learner's Dictionary में Utensils एक टूल, एक कन्टेनर या कोई अन्य आर्टिकल है जो हाउसहोल्ड (घर के अन्दर) में प्रयोग होता हो। इसी प्रकार British Dictionary के अनुसार Utensils एक इम्प्लीमेन्ट, एक टूल, एक कन्टेनर है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि हाउसहोल्ड गुड्स में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो घर के अन्दर प्रयोग की जाती हैं क्योंकि कन्टेनर Utensils है तथा हाउसहोल्ड गुड्स है, इसलिये यह अनुसूची II(B) की प्रविष्टि संख्या 8 से आच्छादित होने के कारण 5 प्रतिशत की दर से कराधेय होना चाहिए।

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची II(B) की प्रविष्टि संख्या 8 निम्न प्रकार हैः–

"8. बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर अल्यूमिनियम, लोहा व इस्पात, प्लास्टिक अथवा अन्य सामग्री से बने सभी प्रकार के बर्तन एवं इनैमिल के बर्तन (जिनमें प्रेशर कुकर/पैन भी सम्मिलित हैं), बाल्टियां, जग एवं मग।"

इस प्रविष्टि के अनुसार मुख्यतः बर्तनों पर ही 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होता है किन्तु बर्तन से भिन्न कुछ अन्य वस्तुओं को भी इस प्रविष्ट से आच्छादित किया गया है। जैसे– प्रेशर कुकर/पैन, बाल्टी, जग, मग। बाल्टी, जग आदि का उपयोग पानी को रखने में होता है अर्थात् ये एक प्रकार के कन्टेनर हैं, जिनका प्रयोग मुख्यतः रसोई में अन्य बर्तनों के साथ किया जाता है। व्यापारी द्वारा Utensils का अर्थ कन्टेनर भी होने के सम्बन्ध में रखे गये तथ्यों के सन्दर्भ में यह कहा जाएगा कि रसोई में कुछ बर्तन कन्टेनर

के रूप में काम आने के कारण इन्हें बर्तन की श्रेणी में भी माना जा सकता है किन्तु व्यापारी द्वारा जिस वस्तु, ''वाटर स्टोरेज टैंक'' के सम्बन्ध में करदेयता स्पष्ट करने हेतु प्रार्थना की गयी है, वह रसोई में प्रयोग नहीं किये जाते हैं बल्कि इनका प्रयोग मुख्यतः घर के बाहर पानी इकट्ठा करने में होता है। अतः इन्हें किसी भी प्रकार से बर्तन की श्रेणी में आने वाले कन्टेनर नहीं कहा जा सकता है। बाल्टी, मग आदि प्रायः बर्तन व्यापारियों द्वारा बिक्री किये जाते हैं, किन्तु वाटर स्टोरेज टैंक, जो मुख्यतः प्लास्टिक के बने होते हैं, की बिक्री हॉर्डवेयर, सेनेट्री आदि की बिक्री करने वाले व्यापारियों द्वारा की जाती है तथा इन्हें कभी भी बर्तन के नाम पर या बर्तन के रूप में विक्रय नहीं किया जाता है बल्कि इनकी पहचान बर्तन से भिन्न वस्तु के रूप में ही होती है।

अतः वाटर स्टोरेज टैंक को किसी भी प्रकार से बर्तन नहीं माना जा सकता है। इस कारण से वाटर स्टोरेज टैंक अनुसूची II(B) की प्रविष्टि संख्या 8 से आच्छादित नहीं होते हैं तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अन्य किसी प्रविष्टि से भी आच्छादित नहीं होने के कारण ये 13.5 प्रतिशत की दर से कराधेय होगी।

तदनुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

4791

पृ0प0सं0 4791 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / रूद्रपुर जोन।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून / ऋषिकेश / हरिद्वार / रूड़की / काशीपुर / बाजपुर / रूद्रपुर / खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।

6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

7– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।

8– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।

9– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।

10– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

11– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड